2

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

अपील संख्या 99/2017

अपीलार्थी — बनाम — **रेस्पोडेंट**

यशोवर्धन पुत्र भवानीशंकर शर्मा
निवासी खागल मोहल्ला वार्ड
संख्या 04 बाड़मेर

सहायक लोक सूचना अधिकारी,
तहसीलदार,रामसर

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम,2005

निर्णय दिनांक 22.01.2018

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक लोक सूचना अधिकारी–तहसीलदार,रामसर से चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने सहायक लोक सूचना अधिकारी–तहसीलदसार,रामसर को आवेदन पत्र प्रेषित कर आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 07 में वर्णित सूचना चाही थी। अपीलांट का यह कथन है कि उसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिये सूचना उपलब्ध कराई जाए।
3. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट को जवाब हेतु नोटिस जारी किया। रेस्पोडेंट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में यह बताया कि प्रार्थी को वांछित सूचना का शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया, मगर प्रार्थी ने वांछित सूचना का शुल्क जमा नहीं करवाया और शुल्क जमा करवाने पर उपलब्ध करवाना बताया।
4. हमने पत्रावली एंव रेस्पोडेंट से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत आवेदित सूचना के बिन्दु संख्या 01 से 07 में वर्णित सूचना का निर्धारित शुल्क जमा करवाने हेतु अपीलांट को लिखा गया,मगर अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराने से वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बिना निर्धारित शुल्क जमा कराये सूचना दी जाना अपेक्षित नहीं है। यदि अपीलांट वास्तविक रूप से सूचना चाहता है,तो आवेदित सूचना का शुल्क जमा कराकर उपलब्ध सूचना दी जा सकती हैं।

जिला कलक्टर
बाडमेर

Scanned by CamScanner

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की यह अपील खारिज की जाती है।

6. निर्णय की प्रतियां उभय पक्ष को प्रेषित हो।

7. निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner